



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 आश्विन 1947 (श10)

(सं0 पटना 1567) पटना, शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

24 सितम्बर 2025

सं० वि०प०स्था०-04/2019-2987(2)/वि०प०—बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2018 एवं बिहार विधान परिषद् की अधिसूचना संख्या-वि०प०स्था०-07/2025(नौ०वि०)- 2012(2)/वि०प०, दिनांक-11 जुलाई, 2025 द्वारा किए गए संशोधनोपरांत बिहार विधान परिषद् सचिवालय (सीधी भर्ती की पद्धतियाँ) आदेश, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुये बिहार विधान परिषद् (भर्ती और सेवा शर्तों) नियमावली, 2018 के नियम 8 (ख) एवं (ग) के अधीन सभापति, बिहार विधान परिषद्, परिषद् सचिवालय में चालक एवं कार्यालय परिचारी के पदों पर भर्ती की पद्धति/ पद्धतियाँ, रीति, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं संचालन के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं:-

बिहार विधान परिषद् सचिवालय (सीधी भर्ती की पद्धतियाँ) (संशोधन) आदेश, 2025

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- यह आदेश बिहार विधान परिषद् सचिवालय(सीधी भर्ती की पद्धतियाँ)(संशोधन) आदेश, 2025 कही जा सकेगी ।
2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
3. बिहार विधान परिषद् सचिवालय में बिहार विधान परिषद् सचिवालय (सीधी भर्ती की पद्धतियाँ) आदेश, 2023 के अंतर्गत समूह-5 में उल्लिखित चालक एवं समूह-7 में उल्लिखित कार्यालय परिचारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु पद्धतियाँ वही होगी जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न 'परिशिष्ट' में वर्णित है।

सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से,

नवीन कुमार मिश्र,

उप सचिव ।

बिहार विधान परिषद् सचिवालय (सीधी भर्ती की पद्धतियाँ)(संशोधन) आदेश, 2025

परिशिष्ट

बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 एवं बिहार विधान परिषद् की अधिसूचना संख्या-वि०प०स्था०-07/2025 (नी०वि०)- 2012(2)/वि०प०, दिनांक- 11 जुलाई, 2025 द्वारा किए गए संशोधनोपरांत बिहार विधान परिषद् सचिवालय (सीधी भर्ती की पद्धतियाँ) आदेश, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुये बिहार विधान परिषद् (भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 8 (ख) एवं (ग) के अधीन सभापति, बिहार विधान परिषद्, परिषद् सचिवालय में चालक एवं कार्यालय परिचारी के पदों पर भर्ती की पद्धति/पद्धतियाँ, रीति, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं संचालन के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं:-

परीक्षा की पद्धति -

1. (क) चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी-

चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु दो चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी- (1) लिखित परीक्षा (2) चालन कौशल एवं ट्रेड जांच(प्रायोगिक)परीक्षा ।

i. लिखित परीक्षा-

(क) चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा **OMR उत्तर-पुस्तिका आधारित (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय)**

(ख) लिखित परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे:-

- सामान्य अंक गणित
- सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं यातायात के नियम से संबंधित
- सामान्य हिन्दी

(ग) कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। सामान्य अंक गणित एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिन्दी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगे। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी, तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सामान्य हिन्दी विषय के प्रश्न सिर्फ हिन्दी (देवनागरी लिपि) में मुद्रित रहेंगे।

ii. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

- सामान्य अंक गणित- 30 प्रश्न

➤ लघुत्तम समापवर्त्य (LCM), महत्तम समापवर्तक (HCF), वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ-हानि, बट्टा, बिक्रीकर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात।

• सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं यातायात के नियम से संबंधित- 40 प्रश्न

- संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं उर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था, मानचित्र अध्ययन।
- संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केन्द्र-राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल।
- मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका।
- भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद।
- प्रकाश-परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन।
- समसामयिक घटनायें
- यातायात के नियम से संबंधित।

• सामान्य हिन्दी- 30 प्रश्न

- संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द-शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय ।
- 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश, रचनाकार पर आधारित प्रश्न।

iii. अर्हक अंक (क्वालीफाइंग मार्क्स):-

- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं पत्रांक-6706, दिनांक-01.10.2008 के आलोक में परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे।
- लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही अगली चरण की परीक्षा चालन कौशल एवं ट्रेड जांच (प्रायोगिक) में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी ।

- लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उपलब्ध आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के 10 (दस) गुणा अभ्यर्थियों का अगले चरण की परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा।
- समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा।
- वैसे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर बिहार विधान परिषद् सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा।

iv. चालन कौशल एवं ट्रेड जांच (प्रायोगिक) परीक्षा

- चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को चालन कौशल में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चालन कौशल में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही ट्रेड जांच (प्रायोगिक) परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। ट्रेड जांच (प्रायोगिक) परीक्षा 50 अंको की ली जायेगी।
- चालन कौशल परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य नहीं होंगे।

- v. मेधा सूची- लिखित परीक्षा तथा ट्रेड जांच (प्रायोगिक) परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

2. कार्यालय परिचारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा ली जायेगी-

i. लिखित परीक्षा-

- (क) कार्यालय परिचारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा **OMR उत्तर-पुस्तिका आधारित (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय)** होंगे।
- (ख) लिखित परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे:-
 - सामान्य अंक गणित
 - सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान
 - सामान्य हिन्दी
- (ग) कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। सामान्य अंक गणित एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिन्दी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगे। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी, तो

अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सामान्य हिन्दी विषय के प्रश्न सिर्फ हिन्दी (देवनागरी लिपि) में मुद्रित रहेंगे।

ii. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

• **सामान्य अंक गणित- 30 प्रश्न**

- लघुत्तम समापवर्त्य (LCM), महत्तम समापवर्तक (HCF), वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ-हानि, बट्टा, बिक्रीकर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात।

• **सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान- 40 प्रश्न**

- संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं उर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था, मानचित्र अध्ययन।
- संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केन्द्र-राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल।
- मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका।
- भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद।
- प्रकाश-परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन।
- समसामयिक घटनायें।

• **सामान्य हिन्दी- 30 प्रश्न**

- संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द-शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय ।
- 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश, रचनाकार पर आधारित प्रश्न।

iii. अर्हक अंक (क्वालीफाइंग मार्क्स) :-

- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक-16.07.2007 एवं पत्रांक-6706, दिनांक-01.10.2008 के आलोक में परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे।
- समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा।
- वैसे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर बिहार विधान परिषद् सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा।

iv. मेधा सूची- लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

3. परीक्षा शुल्क।- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-ज्ञापांक-21/आयोग-02/2018, सा०प्र०-15568/पटना-15, दिनांक-21.08.2025 के आलोक में बिहार विधान परिषद् सचिवालय में उक्त पदों पर ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने हेतु परीक्षा शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मात्र 100/- (एक सौ) रुपये निर्धारित किया जाता है।

सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से,

नवीन कुमार मिश्र,

उप सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1567-571+25-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>